कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfokn@rediffmail.com

क्रमांक / मा.चि / 2020 / 1162

कांकेर, दिनांक 24 / 06 / 2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय : Diversion of forest Land for non-forest purpose onder forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS and 85 Blocks through optical fibre cable laying appeoximately 32466 km, The laying of OFC will involve 26 distict across the state, area – 4.530 ha regarding.
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/42451/2020

संदर्भ : 1.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र कमांक / भू–प्रवंध / विविध / 115–826 / 870 नवा रायपुर दिनांक 11.05..2020 ।
2.आपका कार्यालयीन पत्र क. / मा.चि / न.क.138 / 2020 / 2789 दिनांक 13.05.2020 ।

– –00– –

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क. 1 के माध्यम से आपके द्वारा 8 बिन्दुयों की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव में नोडल कार्यालय के परीक्षण के उपरांत जो कमियां पाई गई है उन कमियों की पूर्ति की जा रही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

बिंदु क्रमांक	पाई गई कमियां	कमियों की पूर्ति
1	Form A Part-II के कॉलम नं 4 निरंक है।	उक्त प्रस्ताव आवेदित वन भूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के उपयोग हेतु प्रस्तुत की गई है जिसमे किसी भी प्रकार से वृक्ष के विदोहन नही किया जाना है अतः प्रजाति एवं गर्थ वाइज वृक्ष विदोहन की जानकारी ऑनलाइन Form A Part-II के कॉलम नं 4 में निरंक माना जावें।
2	Form A Part-II के कॉलम न 16 के पार्ट – 2 में कुल वन क्षेत्र 4.144 हे. अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है , उक्त रकबा को सुधारकर 4.53 हे. किया जाकर ऑनलाइन अपलोड किया जाना होगा।	ऑनलाइन Form A Part-II में कुल वन क्षेत्र 4.530 हे. अपलोड किया गया है जो कि सही है। प्रस्ताव के चेक लिस्ट –11 के भाग 2 में कुल वन क्षेत्र रकबा 4.144 हे. दर्शायी गई है, जो कि राजस्व वन भूमि के रकबा 0.386 हे. को 4.144 में अंकित नही किया गया है। संशोधन उपरांत 4.144+0.386=4.530 हे. अपलोड किया गया है।

Scanned by CamScanner

3	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण सम्बन्धी कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑन लाइन अपलोड नहीं किया गया है।	आवेदक संस्थान द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
4	छत्तीसगढ़ शासन, वनविभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-02/10-2 दिनांक 16.04.2020 से ओ.एफ.सी. लाइन के एक अन्य प्रकरण में कमियों को उल्लेख करते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर दिया गया है।	संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया है। अवलोकन के उपरांत सुधार कर कमियों का संशोधन कर अपलोड किया गया है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिंदु क्रमांक a (ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण) तथा b (ग्राम सभा की कार्यवाही का अनुसंशा) सम्बन्धी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है। भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linrear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Sattlement of Right सम्बन्धी ग्रामसभा की सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही को संलग्न किया जाना उल्लेखित है	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। जिसमे जलवायु एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 03.08.2009 का उल्लेख किया गया है। जलवायु एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F11-9/98-FC(pt) दिनांक 28.10.2014 में उपरोक्त पत्र का उल्लेख है जिसके अनुसार Proposal seeking prior approval under FCA 1980 for project for laying of Optical Fibre Cable are exempted from requirement of obtaining consent of the concern gramsabha. (Annex – 1,2 and 3) लिनियर प्रस्ताव जिसमें वृक्षों की कटाई कार्य नहीं किया जाना है। उसमें लागू नहीं होता है।
6	संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 13 में लेख अनुसार सम्बंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें।	कलेक्टर जिला उ.ब. कांकेर के द्वारा प्रदाय अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार पत्र धारक नहीं है।
7	प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित कांकेर वनमंडल में अलग अलग OFC लाइन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष क्रमांक को दर्ज करते कुल रकबा 4.530 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।	Chips द्वारा प्रस्तावित कांकेर वनमंडल, कुल रकबा 4.530 हे. में OFC Line का प्रकरण है जो ring system पर आधारित है अर्थात जिस बिंदु से OFC Line प्रारंभ होती है उसी बिंदु पर आकर OFC Line समाप्त हो जाती है। शेष विवरण प्रस्ताव में चेकलिस्ट

Scanned by CamScanner

	कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्येक OFC लाइन का निम्नानुसार विस्तृत वर्णन प्रदाय करे 1. प्रत्येक OFC लाइन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है। प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 2. लाइन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा दर्शाया नहीं गया है।	3 में शामिल है तथा कांकेर वनमंडल में प्रस्तावित OFC लाइन किस ग्राम से किस ग्राम तक गुजर रही है, उनका वनखंड वार तथा कक्ष वार विवरण सूचीबद्ध करते हुए संलग्न किया जा रहा है। (Annex – 4 and 5)
8	चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिंदु, प्रस्ताव का पृष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दी जावे।	कृपया संलग्न आवरण पत्र क्रमांक/ मा.चि. /2020/524 दिनांक 28.02..2020 का अवलोकन हो। चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिंदु, प्रस्ताव का पृष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दिया गया है।

अतः बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक की चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
कांकेर वनमण्डल कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि/2020/ 1163
कांकेर, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि — प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)
भाग – II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/42451/2019

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :– O.F.C Line कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना

i राज्य/संघ शासित क्षेत्र :– छत्तीसगढ़ शासन

ii जिला :– उत्तर बस्तर कांकेर

iii वन प्रभाग :– वन मण्डल कांकेर, परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर ,सरोना

iv वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेंक्टर में) :–

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	आर. एफ रकबा (हे.मे)	पी.एफ रकबा (हे.)	ओ.ए रकबा (हे.)	राजस्व वन रकबा (हे.में)	कूल आवेदित रकबा (हे.मे)
1	चारामा	0.037	0.537	0.537	0.115	1.226
2	कांकेर	0.038	-	0.056	-	0.094
3	नरहरपुर	0.653	0.143	1.587	0.271	2.654
4	सरोना	0.410	0.067	0.079	-	0.556
	योग	**1.138**	**0.747**	**2.259**	**0.386**	**4.530**

v वन की कानूनी स्थिति :– आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी वन क्षेत्र

vi हरियाली का धनत्व :– < 0.6

vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर. एल. एफ. आर. एल. – 2 मीटर पर परिगणना और एफ. आर. एल. – 4 मीटर भी संलग्न की जाए) :– प्रकरण में सड़क के समान्तर ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाई जावेगी, किसी प्रकार की वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।

viii भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। :– परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर ,सरोना प्रस्तावित स्थल सड़क के समान्तर समतल भूमि होने के कारण मृदा भू–क्षरण होने की संभावना नहीं है।

xi वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी। :– परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर ,सरोना में ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि वन भूमि का ही

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–826/870 नया रायपुर, दिनांक 11/05/2020

2103
17-6-2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Division "Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.530 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक –**FP/CG/OFC/42451/2020**

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र. 138/ 2020 / 694 दिनांक 19.03.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गई है:–

1. Form A Part-II के कालम नं. 4 निरंक है।
2. Form A Part-II के कालम नं. 16 के पार्ट–2 में कुल वन क्षेत्र 4.144 हे. अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, उक्त रकबा को सुधार कर 4.53 हे. किया जाकर ऑन लाईन अपलोड किया जाना होगा।
3. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।
4. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–02/ 2020/ 10–2 दिनांक 16.04.2020 से ओ.एफ.सी. लाईन के एक अन्य प्रकरण में कमियों को उल्लेख करते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर दिया गया है।
5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधि प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिन्दु क्रमांक ए (ग्राम सभा कार्यवाही विवरण) तथा बी (ग्राम सभा की अनुशंसा) संबंधि जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।
भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक एफ 11–9/98–एफ सी (पीटी) दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणो हेतु Form – I निर्धारित है तथा इस Form – I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्राम सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।
6. संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतो के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होने का लेख किया गया हैं। उक्त बाबत् स्थिति स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12.02.2010 का उल्लेख आवरण पत्र में है, जिसकी छाया प्रति भेजी जावे।

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
16/6

Scanned by CamScanner

7. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित कांकेर वन मंडल में अलग–अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनो से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा 4.530 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।

उक्त त्रुटि इस प्रकरण में भी परिलक्षित हो रही है, जो निम्नानुसार है:–

(i) प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा नहीं दर्शाया गया है।

8. चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिन्दु, प्रस्ताव का पुष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दी जावे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 16.04.2020 की एक पृष्ठीय छाया प्रति।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 826/ 871 रायपुर, दिनांक 11/05/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-02/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 16/04/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत बस्तर नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 11.534 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

विविध-I

संदर्भः- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115- 815/557, दिनांक 29.02.2020 ।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 A में भाग-4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा प्रदाय की गई है। उक्त भाग- 4 में अनुशंसा किस गैर वानिकी कार्य हेतु की गई है, यह स्पष्ट रुप से अंकित नही है।

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिंदु क्र. a (ग्रामसभा का कार्यवाही विवरण) तथा b (ग्रामसभा की अनुशंसा) संबंधी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।

भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F 11-9/98-FC(pt), दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारुप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारुप में Linear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्रामसभा की संपूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।

3. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत् स्थिति स्पष्ट करें।

क्रमशः 2

APCCF (L/M)
PCCF

Scanned by CamScanner

4. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित धमतरी वनमंडल में अलग–अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा ... 534 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।

कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्येक OFC लाईन का निम्नानुसार विस्तृत विवरण प्रदाय करें :–

1. प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है ।
2. प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा ।
3. धमतरी वनमंडल में प्रस्तावित उपरोक्त सभी OFC लाईनों का उपरोक्त बिंदु क्र. 4 (1) तथा 4(2) में उल्लेख अनुसार विवरण देते हुए विषयांकित प्रस्ताव में कुल आवेदित वन भूमि की गणना प्रस्तुत करें।

5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 अधूरा एवं अहस्ताक्षरित है।

2/– कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर टीप प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत) 15.4.2020
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.कमांक एफ–5–02/2020/10–2
नवा रायपुर, दिनांक /04/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

Scanned by CamScanner